हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of Education Act, 1969)

विषयः– सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षाओं के ऑन–लाईन आवेदन के दौरान बोर्ड कार्यालय में प्राप्त डबल फीस रिफण्ड करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सभी विद्यालय/संस्थाओं के मुखियाओं को निर्देशित किया जाता है कि वार्षिक परीक्षाएं फरवरी/मार्च–2027 हेतु जिस विद्यालय/संस्थाओं से किसी परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों के ऑन–लाईन आवेदन में तकनीकी कारणों से एक ही परीक्षा हेतु दो बार शुल्क समायोजन हो जाता है तो, ऐसे विद्यालय/संस्था परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों की डबल फीस रिफण्ड हेतु प्रार्थना–पत्र ऑन–लाईन आवेदन की अन्तिम तिथि समाप्त होने के बाद डबल फीस (EXCESS FEE) जमा होने के साक्ष्यों (Benefeciary Name, Account No., IFSC Code, Branch) आदि दर्शाते हुए) सहित दो मास (60 दिन) के समयबद्ध समय तक ही सैकेण्डरी हेतु **assec@bseh.org.in** तथा सीनियर सैकेण्डरी हेतु **assrs@bseh.org.in** ई–मेल आई0डी0 पर या दस्ती कार्यालय में भेज सकते हैं। इसके उपरान्त डबल फीस (EXCESS FEE) रिफण्ड करने हेतु दिए गए किसी भी प्रार्थना–पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए विद्यालय/संस्थाएं स्वंय जिम्मेवार होंगे।

डबल फीस (EXCESS FEE) रिफण्ड हेतु भेजी जाने वाली सूचना का प्रारूप निम्न प्रकार हैः–

विद्यालय कोड विद्यालय का पूरा नाम व जिला

कक्षा (सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी)ई0 मेल आई0 डी0

मोबाईल नं0 REFUNDABLE AMOUNT

विद्यालय बैंक खाता संख्या

बैंक व शाखा का नाम IFSC CODE

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए विवरण सही हैं यदि कोई विवरण गलत होगा तो मैं स्वंय जिम्मेवार हूंगा।

तिथि

मुख्याध्यापक/प्राचार्य हस्ताक्षर

(मोहर सहित)